संख्या-76/2016/आर-1200/26-3-2016-6(रिट)/2013

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 13 अप्रैल,2016

विषयः- मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-350/2013 सुमित कुमार व अन्य बनाम् यूनियन आफ इन्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक-06.02.2016 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-73/स.क./शिक्षा-अ/2015-16/लखनऊ, दिनांक-13.04.2016 द्वारा उपलब्ध करायी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त उक्त याचिका में पारित मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-06.02.2015 के अनुपालन में याची छात्रों की वर्ष 2012-13 की दशमोत्तर अनुसूचित जाति शुल्कप्रतिपूर्ति (प्रदेश के बाहर संस्थाओं में अध्ययनरत) की धनराशि रूपये-2,91,500/- (रूपये दो लाख इक्यानबे हजार पांच सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-80 के योजनान्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष मे प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत करके आपके निवर्तन पर रखी गयी है, से व्यय/भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- उक्त भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्राप्त सभी आवेदनकर्ता छात्र सुसंगत नियमावली की अन्य शर्तो को पूर्ण करते हो।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च 2016, में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

पृ.संख्या-76/2016/आर-1200(1)/26-3-2016 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
5. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in